

प्रेस नोट दिनांक 10.10.2026 थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना संग्रामगढ़-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा हत्या से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रोहित पटेल उर्फ कल्लू को क्षेत्रान्तर्गत चेरगढ़ तिराहे के पास से गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा पाइप/लोहा बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम चकेढ़ी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, दिनांक 08.10.2026 को उनके पुत्र को परिचित रोहित पटेल अपने घर ले गया, जहाँ पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि रोहित पटेल, उसकी पत्नी एवं दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिससे वादी का पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीएचसी संग्रामगढ़ ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वादी के अनुसार, इससे पूर्व भी उनके पुत्र को धमकी दी गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना संग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 195/2026 धारा 103 (1)/3(5) बी.एन.एस बनाम 02 नामजद व 02 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 कुलदीप यादव, रि0का0 रोहित यादव म0का0 पूजा यादव, रि0म0का0 अंजली गुप्ता मय चालक का0 रामनिवास यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारंटी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 195/2026 धारा 103 (1)/3(5) बी.एन.एस थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रोहित पटेल उर्फ कल्लू पुत्र पप्पू पटेल निवासी ग्राम सराय निर्भय थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत चेरगढ़ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा पाइप लोहा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रोहित पटेल उर्फ कल्लू पुत्र पप्पू पटेल निवासी ग्राम सराय निर्भय थाना संग्रामगढ़ जिला प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का0 कुलदीप यादव, रि0का0 रोहित यादव म0का0 पूजा यादव, रि0म0का0 अंजली गुप्ता मय चालक का0 रामनिवास यादव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के 04 सीसीटीवी कैमरे एवं 01 बैट्री बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त पिंटू उपाध्याय को गिरफ्तार करते हुए चोरी के 04 सीसीटीवी कैमरे एवं 01 बैट्री बरामद की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम पूरे बेलखरियन, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, दिनांक 06.10.2026 को शाम उनके विद्यालय लौह पुरुष सरदार पटेल शिक्षा निकेतन इण्टर कॉलेज, पूरे गिरधर सहाय तिना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ से 04 सीसीटीवी कैमरे एवं 01 ऑटो की बैट्री चोरी कर ली गई थी। घटना विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के DVR में रिकॉर्ड हो गई थी। फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले व्यक्तियों की पहचान पिंटू उपाध्याय पुत्र उमाशंकर उपाध्याय एवं अर्जुन वर्मा पुत्र दशाराम वर्मा, निवासीगण ग्राम तिना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 331/2026 धारा 305 बीएनएस के अंतर्गत नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराधों के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री वारिज कसेरा के नेतृत्व में थाना लीलापुर के उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह, का0 बाबूलाल यादव एवं का0 प्रमेश यादव द्वारा मुकदमे की विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पिंटू

उपाध्याय को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिना से धधुआगाजन जाने वाली सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 04 सीसीटीवी कैमरे एवं 01 बैट्री बरामद की गई। बरामद सामान की वादी मुकदमा द्वारा पहचान की गई तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त पिंटू उपाध्याय ने बताया कि उसने अपने गांव के दोस्त अर्जुन वर्मा पुत्र दशाराम वर्मा के साथ मिलकर दिनांक 06.10.2026 को सरदार पटेल इण्टर कॉलेज, गिरधर सहाय का पुरवा, तिना से 04 सीसीटीवी कैमरे एवं 01 बैट्री चोरी की थी। उक्त चोरी के सामान को अभियुक्त अपने साथ झोले में लेकर जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर चोरी के 04 सीसीटीवी कैमरे एवं 01 बैट्री बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पिंटू उपाध्याय पुत्र उमाशंकर उपाध्याय निवासी ग्राम तिना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

04 अदद सीसीटीवी कैमरे, कम्पनी CP PLUS।

01 अदद बैट्री।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह, का0 बाबूलाल यादव एवं का0 प्रमेश यादव, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर-

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोहंडौर के उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 अवधेश कुमार यादव द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-22, प्रतापगढ़ से निर्गत गैर-जमानती वारण्ट के अनुपालन में दिनांक 10.10.2026 को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मामूली से 02 वारण्टी अभियुक्तों 1. उदयराज

पुत्र द्वारिका प्रसाद एवं 2. अरविन्द उर्फ रविन्द्र पुत्र सरजू प्रसाद, निवासीगण ग्राम मामूली, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. उदयरज पुत्र द्वारिका प्रसाद, निवासी ग्राम मामूली, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
 2. अरविन्द उर्फ रविन्द्र पुत्र सरजू प्रसाद, निवासी ग्राम मामूली, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
- संबंधित अभियोग- अ0सं0 99/2017, धारा 323/504/506 IPC, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बृजेश कुमार, का0 अवधेश कुमार यादव, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार यादव व का0 बाबूलाल यादव द्वारा न्यायालय से निर्गत ई-गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तीना से 01 वारण्टी अभियुक्त गुदुन्नु सरोज पुत्र स्व0 बदी प्रसाद सरोज निवासी ग्राम तीना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

गुदुन्नु सरोज पुत्र स्व0 बदी प्रसाद सरोज निवासी ग्राम तीना, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। संबंधित वाद के0स0 2765/2020, राज्य बनाम राम कृपाल, मु0अ0सं0 193/2005, धारा 323/504 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव, हे0का0 राजकुमार यादव, का0 बाबूलाल यादव, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ०नि० बनवारी लाल पाल मय हमराह का० पवन कुमार यादव व का० राहुल कुमार द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय लालगंज, प्रतापगढ़ द्वारा जारी ऑनलाइन एनबीडब्ल्यू, क्रि०केस नं० 1051/20, अ०सं० 71/2001, धारा 323/504 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त गेंदा लाल पुत्र नन्कू राम वर्मा निवासी ग्राम पूरे पण्डित खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- गेंदा लाल पुत्र नन्कू राम वर्मा निवासी ग्राम पूरे पण्डित खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० बनवारी लाल पाल मय हमराह का० पवन कुमार यादव व का० राहुल कुमार, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ०नि० इन्देश प्रजापति मय हमराह का० सुरेन्द्र यादव व का० राघवेन्द्र यादव द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय सीजेएम प्रतापगढ़ द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू, मु०नं० 0676/2019, अ०सं० 0249/2019, धारा 307 भादवि, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त फैसल पुत्र मो० नसीम निवासी सैय्यदन मोहल्ला, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष को पटेल नगर ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- फैसल पुत्र मो० नसीम निवासी सैय्यदन मोहल्ला, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० इन्देश प्रजापति मय हमराह का० सुरेन्द्र यादव व का० राघवेन्द्र यादव, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।